Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में राजस्व पटवारी 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 नवम्बर,* सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश पालीवाल, हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल जेठानिया, अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारी पुश्तैनी जमीन का म्यूटेशन भरने की एवज में जगदीश पालीवाल, हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल जेठानिया, अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया द्वारा 3 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन तथा एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के निर्देशन में **श्री अमराराम खोखर पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश पालीवाल पुत्र बाबूलाल निवासी मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर, हाल पटवारी पटवार मण्ड़ल जेठानिया, अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।